न्यायालयः— न्यायिक मजिस्ट्रेट, केशवराय पाटन, बूंदी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— विकास नेहरा आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :— Reg.Cri.Case/439/2016
सी एन आर नंबर :— RJBD080006342016

निर्णय दिनांकः—19.05.2023
आरक्षी केन्द्र के.पाटन, जिला बून्दी के मुकदमा संख्या 171/2016 अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 से उदभुत प्रकरण।

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री राजकुमार डागर सहा. अभि. अधि.
अभियुक्त	**मुकुटबिहारी** पुत्र मांगीलाल मीणा, निवासी सवर, थाना तालेड़ा, जिला बूंदी , राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री जगदीश दाधीच, अधिवक्ता

अपराध की तिथि	04.05.2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	04.05.2016
आरोप पत्र की तिथि	18.07.2016
आरोप के विरचना की तिथि	21.09.2016
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	25.11.2021
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	16.05.2023
निर्णय की तिथि	19.05.2023
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	—

अभियुक्त का विवरण :—

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनाक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	मुकुट बिहारी	04.05.2016	06.05.2016	धारा 19/54 राज. आबकारी अधि., 1950	दोषमुक्ति	—	2 दिवस

अभियोजन साक्ष्य की सूची :—

(क) अभियोजन साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.—1	चन्द्र सिंह	चश्मदीद साक्षी
अ.सा.—2	देशबंधु	चश्मदीद साक्षी
अ.सा.—3	महेन्द्र कुमार	चश्मदीद साक्षी
अ.सा.—4	रामदयाल	पुलिस साक्षी
अ.सा.—5	राधेश्याम मण्डावत	मालखाना साक्षी
अ.सा.—6	बाबूलाल	अनुसंधानकर्ता
अ.सा.—7	रामकिशन	जप्ती साक्षी

(ख) प्रतिरक्षा साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
बचाव साक्षी —1	निरंक	

(ग) न्यायालय साक्षी :—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
न्यायालय साक्षी—1	निरंक	

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :—

(क) अभियोजन :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्र.पी.—1	फर्द चैकिंग व जप्ती
2.	प्र.पी.—2	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
3.	प्र.पी.—3	नक्शा मौका घटनास्थल
4.	प्र.पी.—4	एफएसएल प्राप्ती रसीद
5.	प्र.पी.—5	मालखाना रजिस्टर
6.	पुनः प्र.पी.—5	अग्रेषण पत्र
7.	पुनः प्र.पी.—5 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
8.	पुनः प्र.पी.—6	तहरीरी रिपोर्ट
9.	प्र.पी.—7	चाक एफआईआर
10.	प्र.पी.—8	नकल रपट रोजनामचा

11.	प्र.पी.—9	एफएसएल रिपोर्ट

(ख) प्रतिरक्षा :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

(ग) न्यायालय प्रदर्श :—

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	—	—

(घ) आवश्यक वस्तुयें :—

क्रम संख्या	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
—	—	—

— :: निर्णय ::—

1. इस आपराधिक प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 04.05.2016 को रामकिशन एएसआई ने पुलिस थाना के.पाटन, बूंदी पर उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह उक्त दिनांक को मय जाप्ता देशबंधु कानि., महेन्द्र कानि., व चन्द्रसिंह कानि. के साथ गश्त व अवैध कार्य की चैकिंग हेतु थाने से समय 3.05 पीएम पर मय अनुसंधान बॉक्स के प्राईवेट जीप से रवाना हुआ। गश्त करते हुए कस्बा के.पाटन, बूंदी रोड़ चौराहे गुडली तीरथ मेहराणा की ओर मैगा हाईवे देलुंदा तिराहे पर पहुंचे तो, जहां पर मुखबीर से इत्तिला मिली कि एक व्यक्ति ने पेंट शर्ट पहनी रखी है और उसका नाम मुकुट बिहारी है और वह पैदल—पैदल दो कार्टून में देशी शराब लाल रंग की साफी में बांधकर विनायका के झोपड़ा की तरफ करीब 15—20 मिनट पहले रवाना हुआ। मुखबीर की सूचना विश्वसनीय होने से सूचना से हमराह जाप्ते को अवगत करवाकर विनायका रोड़ पर रवाना हुए तो विनायका के झौपड़ा के नहर की पूलिया के थौड़ा पहले मुखबीर के बताये हुलिये का व्यक्ति कंधे पर लाल रंग की साफी में गत्ते के कार्टून बंधे हुए लेकर जाता हुआ नजर आया, जिसे रूकवाया तो वह उन्हें वर्दी में देखकर गांव की तरफ भागने लगा, जिसको जाप्ते की मदद से रोककर नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम मुकुट बिहारी होना बताया और कंधे पर रखी साफी में बंद कार्टून के समानों के संबंध में पुछा तो उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। स्वतंत्र गवाहों में उसने हमराह जाप्ते के महेन्द्र कानि. व देशबंधु को मामूर कर मुकुट बिहारी को चैक किया तो बांये कंधे पर लाल रंग की धारियों वाली साफी में बंधे दो गत्ते के कार्टून मिले। साफी खोलकर कार्टून को नीचे रखवा देखा तो देशी मदिरा के 48 पव्वे व दुसरे कार्टून में भी देशी मंदिरा के 48 पव्वे धुंधरू सादा देशी मदिरा के लैबल लगे मिले। उक्त दोनों कार्टून में रखे कुल 96 पव्वों को कब्जे में रखने व ले जाने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो मुकुट बिहारी ने कोई लाईसेंस नहीं होना बताया और उसके

द्वारा चन्दर सिंह बन्ना द्वारा उसको बेचने के लिये देना बताया और चन्दर सिंह का पूर्ण पता ज्ञात नहीं होना बताया। मौके पर ही जप्तशुदा पव्वों के 1—1 कार्टून में से 1—1 पव्वा बतौर सैंपल निकालकर मार्क ''ए व सी'' अंकित कर शेष बच्चे पव्वों को कार्टून में रखकर सील मोहर कर मार्क ''बी व डी'' देकर अभियुक्त को पृथक से गिरफ्तार किया।

उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना के.पाटन, बूंदी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 171/2016 अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त मुकुट बिहारी के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 173(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार न्यायालय में दिनांक 18.07.2016 को पेश किया गया। धारा 207 दण्ड प्रक्रिया संहिता की अनुपालना में अधिवक्ता अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट व अन्य सुसंगत दस्तावेजों की प्रतिलिपी प्रदान की गयी। बहस प्रसंज्ञान सुनी गयी। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्त मुकुट बिहारी के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 का आरोप प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर उक्त धारा के अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. दिनांक 21.09.2016 को अभियुक्त मुकुट बिहारी के न्यायालय में उपस्थित आने पर बहस आरोप सुनी जाकर पत्रावली पर मौजूद सामग्री के आधार पर अभियुक्त मुकुट बिहारी के विरूद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 का अपराध प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर अभियुक्त मुकुट बिहारी को उपर्युक्त धारा के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये जिन्हें अभियुक्त ने सुन एवं समझकर आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन की ओर से कुल 7 साक्षी परीक्षित करवाये गये और प्रदर्श 1 लगायत 9 तक प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये। अभियुक्त मुकुट बिहारी के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्त ने गवाहान के कथनों को गलत होना बताया और स्वयं ने कथन किये कि वह निर्दोष हैं, उसें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा साक्ष्य सफाई पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क पेश किये की अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य द्वारा अभियोजन कहानी को न्यायालय के समक्ष साबित किया गया है। अतः अभियुक्त मुकुट बिहारी को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर उसे कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

उक्त तर्को के विरोध में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क पेश किये कि अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने प्रकरण को साबित

नहीं किया गया है और अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही उसे झुंठा फसाने के लिये थाने पर बैठकर की है। नक्शा मौका की फर्द पर जाप्ते के किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। जप्ती अधिकारी द्वारा मौके पर फर्द जप्ती बनाते समय किसी भी स्वतंत्र गवाह को तलब नहीं किया गया एवं अपने मन मुताबिक पुलिसकर्मियों को ही गवाह बनाकर अभियुक्त से पव्वों की झुठी रिकवरी बतायी गई है। नक्शा मौका साबित नहीं होने से वास्तविक घटनास्थल अभियोजन की ओर से साबित नहीं होता हैं। घटनास्थल के आस—पास मकानात भी है, फिर भी जप्ती व अनुसंधान अधिकारी द्वारा किसी आस—पास के व्यक्ति को अभियुक्त से की गई जप्ती की कार्यवाही के संबंध में तलब नहीं किया गया, जो अभियुक्त से हुई जप्ती को दुषित बनाता है और उक्त जप्ती पर संदेह प्रकट करता है। अभियोजन का प्रकरण संदेह से परे साबित नहीं होने से अभियुक्त दोषमुक्ति का अधिकारी है। अंत में उपरोक्त तर्को के मध्यनजर अभियुक्त मुकुट बिहारी को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

5. सुना गया। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधारणीय प्रश्न यह है कि—

1. क्या अभियुक्त मुकुट बिहारी ने दिनांक 04.05.2016 समय 5.45 पी.एम या इसके लगभग स्थान वाके मौजा विनायकों के झौंपड़ा की नहर की पुलिया के पास एक कार्टून में रखे हुए 96 पव्वे देशी सादा शराब राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्र के आधिक्य में अपने आधिपत्य/कब्जे में रखकर धारा 19 सपठित धारा 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया?
2. यदि हां, तो अभियुक्त के लिये उचित दण्ड क्या होगा?

<u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u>

6. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया। उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में पत्रावली पर आयी समस्त अभियोजन साक्ष्य व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य सामग्री का समग्र विवेचन व अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दु के संबंध में न्यायालय का विवेचन इस प्रकार है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से अभियुक्त मुकुट बिहारी के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा को साबित करने के लिये कुल 7 गवाह प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये गये हैं। जप्तीकर्ता रामकिशन न्यायालय के समक्ष पी.डब्लू—7 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने सशपथ बयानों में फर्द जप्ती प्रदर्श पी—1 में अंकित

तथ्यों की पुष्टि करते हुए दिनांक 04.05.2016 को थाने से मय जाप्ता देशबंधु व महेन्द्र कानि. के साथ थाने से समय 3.05 पीएम पर रवाना होने और मुखबीर के बताये अनुसार विनायका के झोपड़े के आगे से अभियुक्त मुकुट बिहारी के कब्जे से दो कार्टूनों में से 48—48 पव्वे जरिये फर्द प्रदर्श पी—1 से जप्त किये जाने के कथन किये हैं। दौराने प्रतिपरीक्षण गवाह ने कथन किये है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 में स्वतंत्र गवाह लाने हेतु कानि. को भेजने की बात अंकित नहीं है। घटनास्थल पर लोगों का आवागमन रहता है। नक्शा मौका उसकी निशांदेही से नहीं बनाया गया और घटनास्थल का हवाला नक्शा मौका प्रदर्श पी—6 में अंकित नहीं किया गया है। जप्तीकर्ता रामकिशन पी.डब्लू—7 की संपूर्ण साक्ष्य से यह साबित है कि जप्तीकर्ता रामकिशन पी.डब्लू—7 द्वारा अभियुक्त मुकुट बिहारी के कब्जे से जरिये फर्द प्रदर्श पी—1 से 96 पव्वे देशी मंदिरा के जप्त किये जाते समय स्वतंत्र गवाह की तलबी हेतु कानि. को भेजे जाने के सम्यक प्रयास नहीं किये गये।

7. तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 में जप्तीकर्ता रामकिशन पी.डब्लू—7 द्व ारा अभियुक्त की तलाशी से पूर्व किसी स्वतंत्र गवाह की तलाश हेतु किसी जाप्ते के गवाह को नहीं भेजा गया, लेकिन प्रदर्श पी—1 में उसके द्वारा कानि. महेन्द्र को स्वतंत्र गवाह की तलाशी हेतु भेजे जाने का तथ्य अंकित किया गया है, जो तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 व फर्द जप्ती प्रदर्श पी—1 में विरोधाभास को प्रकट करता है। न्यायालय के समक्ष जप्तीकर्ता पी.डब्लू—7 के साथ मौके पर मौजूद गवाह देशबंधु पी.डब्लू—2 ने फर्द जप्ती व चैकिंग प्रदर्श पी—1 के तथ्यों के अनुरूप ही कथन करते हुए उसके व गवाह महेन्द्र पी.डब्लू—3 के समक्ष अभियुक्त मुकुट बिहारी के कब्जे से दो कार्टून में से 96 पव्वे देशी मदिरा के जप्त किये जाने के कथन किये हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान गवाह द्वारा कथन किया गया है कि नक्शा मौका उसके सामने बनाया गया था, परंतु इस पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। नक्शा मौका बनाते समय जप्ती अधिकारी उनके साथ नहीं था। घ टनास्थल के आस—पास रिहायशी ईलाका नहीं है। गवाह पी.डब्लू—2 देशबंधु द्वारा नक्शा मौका पर उसके हस्ताक्षर नहीं होना कथित किया गया है एवं जप्तीकर्ता पी.डब्लू—7 के भी उक्त नक्शा मौका बनाते समय मौजूद होना नहीं बताया गया है। पत्रवली पर मौजूद नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी—3 का अवलोकन करे तो उक्त फर्द पर जप्तीकर्ता रामकिशन पी. डब्लू—7, देशबंधु पी.डब्लू—2, महेन्द्र पी.डब्लू—3 व चन्द्र सिंह पी.डब्लू—1 के हस्ताक्षर नहीं है एवं उक्त नक्शा मौका प्रदर्श पी—3 जप्तीकर्ता रामकिशन की निशादेही से भी अनुसंधानकर्ता बाबूलाल पी.डब्लू—6 द्वारा मुर्तीब नहीं किया गया, जिससे अभियोजन की ओर से नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी—3 संदेह से परे साबित नहीं होता है एवं वास्तव में उक्त नक्शा मौका प्रदर्श पी—3 में बताये हुए स्थान पर से ही अभियुक्त के कब्जे से जरिये फर्द प्रदर्श पी—1 से तथाकथित 96 पव्वे देशी मदिरा के जप्त होने का तथ्य संदेहपूर्ण है।

8. प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित जप्तीकर्ता रामकिशन पी.डब्लू—7 के साथ मौके पर मौजूद गवाह महेन्द्र पी.डब्लू—3 द्वारा फर्द चैकिंग व जप्ती प्रदर्श पी—1 में अंकित तथ्यों के अनुरूप अभियुक्त मुकुट बिहारी के कब्जे से उसके व देशबंधु पी.डब्लू—2 के समक्ष 96 पव्वे देशी मंदिरा शराब के जप्त किये जाने के कथन किये गये हैं और प्रतिपरीक्षण के दौरान नक्शा मौका प्रदर्श पी—3 पर हस्ताक्षर नहीं होने और उसके बयानों में जप्ती अधिकारी के द्वारा उसे गवाह बुलाने हेतु भेजने का अंकन नहीं होने के सुझाव को स्वीकार किया गया है। महेन्द्र पी.डब्लू—3 के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिलिखित बयानों में भी इस तथ्य का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि उक्त गवाह को जप्तीकर्ता पी.डब्लू—7 रामकिशन द्वारा अभियुक्त मुकुट बिहारी की तलाशी ली जाते समय स्वतंत्र गवाह लाने के लिये भेजा गया हो और गवाह द्वारा उसके बयानों में स्पष्ट रूप से तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी—6 में जप्तीकर्ता द्वारा जाप्ते के व्यक्तियों को अभियुक्त की तलाशी से पूर्व स्वतंत्र गवाह लाने हेतु भेजे जाने का तथ्य अंकित नहीं है, जिससे यह साबित है कि जप्तीकर्ता पी.डब्लू—7 रामकिशन द्वारा अभियुक्त मुकुट बिहारी के साथ तथाकथित शराब की जप्ती प्रदर्श पी—1 के माध्यम से किये जाते समय स्वतंत्र गवाह बुलाने का कोई प्रयास नहीं किया और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जप्ती पर स्वतंत्र गवाहों को सम्मिलित नहीं किये जाने से और जप्ती विश्वसनीय रूप से साबित नहीं होने से जप्ती पर संदेह किया जा सकता है। हस्तगत मामले में जरिये फर्द जप्ती व चैकिंग प्रदर्श पी—1 को बनाये जाते समय धारा 100 (4) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना में किसी स्वतंत्र गवाह को सम्मिलित नहीं किया गया एवं उक्त जप्ती प्रदर्श पी—1 के संबंध में भी घटनास्थल बाबत गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास है एवं नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी—3 साबित नहीं हो पाया है, जिससे जप्तीकर्ता पी.डब्लू—7 द्वारा अभियुक्त के कब्जे से मुर्तिब की गई तथाकथित शराब की फर्द जप्ती प्रदर्श पी—1 पर संदेह उत्पन्न होता है और उक्त जप्ती अभियोजन की ओर से साबित नहीं होती है।

9. प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य गवाह चन्द्रसिंह पी.डब्लू—1 द्वारा भी प्रतिपरीक्षण के दौरान घटना की दिनांक को जप्ती के समय स्वतंत्र गवाह तलब नहीं किये जाने के कथन बताये हैं और उक्त गवाह का मौके पर जाप्ते के अन्य गवाहों के साथ मौजूद होना अभियोजन साक्षीगण की ओर से बताया गया है। गवाह पी.डब्लू—1 चन्द्र सिंह की साक्ष्य से भी मौके पर की गई कार्यवाही पर संदेह उत्पन्न होता है एवं अभियुक्त मुकुट बिहारी के कब्जे से जरिये फर्द प्रदर्श पी—1 से जप्तशुदा तथाकथित 96 पव्वे देशी मदिरा शराब की फर्द जप्ती प्रदर्श पी—1 अभियोजन की ओर से संदेह से परे साबित नहीं होती है। अन्य अभियोजन साक्षी रामदयाल पी.डब्लू—4 द्वारा जप्तशुदा माल को एफएसएल जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाकर प्राप्ती रसीद प्रदर्श पी—4 मय अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी—5 के मालखाना इंचार्ज राधेश्याम को

संभलाये जाने के कथन किये हैं। न्यायालय के समक्ष मालखाना इंचार्ज राधेश्याम पी.डब्लू—5 द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा माल को मालखाना रजिस्टर के क्रम 126/2016 में इन्द्राज कर एफएसएल हेतु रामदयाल कानि. को दिये जाने एवं बाद एफएसएफ जांच रसीद प्राप्त कर अनुसंधान अधिकारी को संभलाये जाने के कथन कर मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी—5 को अपनी साक्ष्य से सम्पुष्ट किया है। अन्य अभियोजन साक्षी बाबूलाल पी.डब्लू—6 द्वारा हस्तगत प्रकरण का अनुसंधान किये जाने और बाद अनुसंधान अभियुक्त मुकुट बिहारी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के कथन किये गये हैं और प्रतिपरीक्षण के दौरान पत्रावली पर स्वतंत्र गवाह नहीं होने और घटनास्थल के आस—पास मकान होने के कथन किये हैं। फर्द जप्ती प्रदर्श पी—1 के गवाह पी.डब्लू—2 देशबंधु द्व ारा घटनास्थल के आस—पास रिहायशी ईलाका नहीं होना प्रतिपरीक्षण के दौरान कथित किया गया है, जो उक्त दोनों गवाहों की परिसाक्ष्य में घ टनास्थल के आस—पास मकानात होने के तथ्य एवं उनके द्वारा स्वतंत्र गवाह तलब नहीं किये जाने के तथ्य के संबंध में भी विरोधाभास को दर्शाता है एवं अभियोजन कहानी को संदेहपूर्ण बनाता है। अभियुक्त आरोपित अपराध के संबंध में ठोंस एवं सुदृढ़ साक्ष्य पेश नहीं कर पाया है, जिससे विचारणीय बिन्दु संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः उक्त बिंदु अभियोजन के विरूद्ध तय किया जाता है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि अभियुक्त मुकुट बिहारी ने दिनांक 04.05.2016 समय 5.45 पी.एम या इसके लगभग स्थान वाके मौजा विनायकों के झौंपड़ा की नहर की पुलिया के पास एक कार्टून में रखे हुए 96 पव्वे देशी सादा शराब राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्र के आधिक्य में अपने आधिपत्य/कब्जे में रखकर धारा 19 सपठित धारा 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया है। अतः अभियुक्त मुकुट बिहारी को धारा 19 सपठित धारा 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के आरोपित अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेशः—

11. अतः **अभियुक्त मुकुट बिहारी** पुत्र मांगीलाल मीणा, निवासी सवर, थाना तालेड़ा, जिला बूंदी, राज. को आरोपित अपराध अन्तर्गतधारा 19 सपठित धारा 54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के आरोप में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्त जमानत पर हैं। अतः अभियुक्त द्वारा नियमित उपस्थिति बाबत प्रतिभू पत्र एवं बंध पत्र निरस्त किये जाते हैं।

13. धारा 437 (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार इस निर्णय के विरूद्ध अपील या याचिका के संबंध में अभियुक्त को अगले अपीलीय न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के संबंध में दस हजार रूपये की राशि की प्रतिभू सहित जमानत बन्ध—पत्र पेश करने के आदेश भी दिये जाते हैं। उक्त जमानत बन्ध—पत्र छह माह तक प्रवृत रहेगा।

14. प्रकरण में जप्तशुदा सादा देशी शराब 96 पव्वों को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किये जाने हेतु आबकारी विभाग को तहरीर जारी की जावे।

(विकास नेहरा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, बूंदी

15. निर्णय व आदेश आज दिनांक 19.05.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास नेहरा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, के.पाटन, बूंदी